जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा।

सी0सी0ए0 केश नं0–16/2024–25

सरकार

बनाम्

ओम प्रकाश भगत उर्फ आनंद भगत

–: आदेश :–

दिनांक 30/10/24

विपक्षी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक–423/डी0सी0बी0 दिनांक–19.10.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने पथरगामा थाना के अपराधकर्मी ओम प्रकाश भगत उर्फ आनंद भगत, उम्र–35 वर्ष, पिता–रामानंद भगत उर्फ चौधरी, सा0–धमसाय, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2 (डी) के अन्तर्गत परिभाषित असामाजिक तत्व है, के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजरी करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि अपराधकर्मी ओम प्रकाश भगत उर्फ आनंद भगत, उम्र–35 वर्ष, पिता–रामानंद भगत उर्फ चौधरी, सा0–धमसाय, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा एक असामाजिक तत्व है, जिनके द्वारा समाज में अराजतकता फैलाना, ग्रामीणों का भयादोहन करना, अपराध करना एवं लोगों को डराना, धमकाना है। ये एक कुख्यात एवं पेशेवर अपराधी है। ये अपने साथियों के साथ मिलकर गोड्डा अनुमंडल के साथ सीमावर्ती जिलों में भी कई थाना क्षेत्रों में अनेकों आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। ये जेल से बाहर है। इनके कारण समाजिक शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी हुई है। इनको गोड्डा जिलान्तर्गत पथरगामा थानाक्षेत्र में रहने से (Public Order) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

आगे प्रतिवेदन है कि आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 के समय भी इनको गोड्डा जिलान्तर्गत रहने से चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इनके विरूद्ध कई काण्ड अंकित है तथा वर्तमान में इनकी असमाजिक गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर सन्हा भी दर्ज किया गया है। पथरगामा थाना क्षेत्र में लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु इन्हे झारखण्ड

अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजरी करना अति आवश्यक प्रतीत होता है। इनके विरूद्ध दर्ज किये गये आपराधिक इतिहास निम्नांकित है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा में विचाराधीन है तथा सभी कांण्डों में आरोप पत्र समर्पित किये जा चुके हैं, जिसकी विस्तृत विवरणी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अंकित है।

आपराधिक इतिहास :–

1. सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–46/22 धारा–394 भा0द0वि0
2. सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–47/22 धारा–25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट
3. पथरगामा थाना काण्ड सं0–194/22 धारा–25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट
4. महागामा थाना काण्ड सं0–206/19 धारा–379/356 भा0द0वि0
5. ललमटिया थाना काण्ड सं0–93/16 धारा–395 भा0द0वि0
6. ललमटिया थाना काण्ड सं0–92/16 धारा–392 भा0द0वि0
7. सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–73/16 धारा–395 भा0द0वि0
8. सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–25/16 धारा–392 भा0द0वि0
9. देवघर सिविल कोर्ट काण्ड सं0–66/22 धारा–392 भा0द0वि0
10. गोड्डा सिविल कोर्ट जी0आर0 टी0आर0 सं0–1113/22 धारा–379/356 भा0द0वि0

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने असमाजिक तत्व ओम प्रकाश भगत उर्फ आनंद भगत, उम्र–35 वर्ष, पिता–रामानंद भगत उर्फ चौधरी, सा0–धमसाय, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी की कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा किया है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षी की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। विपक्षी का कथन है कि विपक्षी से चुनाव में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने वाला है। विपक्षी पर जितने भी काण्ड दर्ज हुआ है। वह सभी पुराना है तथा सह अभियुक्त के व्यान पर नाम आया है। विपक्षी कानून प्रिय है तथा हमेशा कानून का सम्मान करता है। इसलिए विपक्षी को आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन के साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के विरूद्ध सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–46/22 धारा–394 भा0द0वि0, सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–47/22 धारा–25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट, पथरगामा थाना काण्ड सं0–194/22 धारा–25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट, महागामा थाना काण्ड सं0–206/19 धारा–379/356 भा0द0वि0, ललमटिया थाना काण्ड सं0–93/16 धारा–395 भा0द0वि0, ललमटिया थाना काण्ड सं0–92/16 धारा–392 भा0द0वि0, सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–73/16 धारा–395 भा0द0वि0, सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0–25/16 धारा–392 भा0द0वि0, देवघर सिविल कोर्ट काण्ड सं0–66/22 धारा–392 भा0द0वि0 एवं गोड्डा सिविल कोर्ट जी0आर0 टी0आर0 सं0–1113/22 धारा–379/356 भा0द0वि0 दर्ज किया गया है। विपक्षी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक इतिहास से स्पष्ट होता है कि विपक्षी कुख्यात अपराधी है। इनके जिला अन्तर्गत रहने से लोक शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए लोक शांति के लिए विपक्षी को थाना हाजिरी करना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरांत पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के अनुशंसा के आलोक में पूर्णरूपेन संतुष्ट होकर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(1981) की धारा–3(3)(बी)(i) के प्रावधानों के तहत ओम प्रकाश भगत उर्फ आनंद भगत, उम्र–35 वर्ष, पिता–रामानंद भगत उर्फ चौधरी, सा0–धमसाय, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश की तिथि से दिनांक–30.01.2025 तक (दिनांक–20.11.2024 मतदान की तिथि को छोड़कर) लगातार अपने दैनिक गतिविधि का सूचना एवं अपनी उपस्थिति इस आदेश में वर्णित, जिसका विवरण निम्नांकित है :–

दैनिक गतिविधि एवं उपस्थिति दर्ज करने का समय

सुबह – 07 बजे से 09 बजे के बीच

शाम – 04 बजे से 06 बजे के बीच

दोनों समय में से किसी एक समय प्रत्येक दिन (दिनांक–20.11.2024 को छोड़कर) श्री अभिनव आनंद, थाना प्रभारी, पथरगामा, मो0 नं0–9431134786 के समक्ष दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी, पथरगामा को आदेश दिया जाता है कि वे ओम प्रकाश भगत उर्फ आनंद भगत का प्रत्येक दिन (दिनांक–20.11.2024 को छोड़कर) का गतिविधि एवं उपस्थिति लगातार दिनांक–30.01.2025 तक दर्ज करेंगे एवं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को समर्पित करेंगे।

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि विपक्षी एवं थाना प्रभारी, पथरगामा को देंगे तथा इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को भी निर्गत करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

190
01/11/24

प्रेषक:-

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.11.12 12:37:45 +05:30
Location: 192.168.1.9